

प्रेषक,

मनीषा पंवार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग—१

देहरादून: दिनांक २० जून, २०१३

विषय—मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत जनपद, विकासखण्ड व विद्यालय स्तर पर गठित क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की नियमित मासिक/ त्रैमासिक बैठकों के आयोजन तथा विद्यालयों के शत-प्रतिशत अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मध्याह्न भोजन योजना केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाला एक ध्वजवाहक कार्यक्रम है। इसके मुख्य उद्देश्यों में प्रारम्भिक स्तर पर राजकीय, स्थानीय निकाय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, आवासीय/ और आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों, मक्तब/ मदरसों तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों में कक्षा १ से कक्षा—८ तक अध्ययनरत बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार करना, अपवंचित समूहों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने तथा कक्षा—कक्ष गतिविधियों में सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करना तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रारम्भिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता उपलब्ध कराना सम्मिलित है।

२— इतनी विशाल योजना के कुशल प्रबन्धन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए यह आवश्यक है कि योजना के प्रत्येक हितधारकों यथा अध्यापकों, अभिभावकों, विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों, अधिकारियों तथा जनसमुदाय का कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो।

३— भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशिका २००६ के अनुच्छेद—३.२ में योजना के बेहतर प्रबन्धन के लिए जनपद, विकासखण्ड तथा विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का निम्नवत गठन कर, नियमित त्रैमासिक/ मासिक बैठकों का आयोजन किये जाने के निर्देश हैं।

समिति	स्तर	अध्यक्ष	सचिव	बारम्बारता
क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति	जनपद स्तरीय समिति	वरिष्ठतम माननीय सांसद/ विद्यायक	जिलाधिकारी	त्रैमास
	विकासखण्ड स्तरीय समिति	उप जिला अधिकारी	खण्ड शिक्षा अधिकारी	त्रैमास
विद्यालय प्रबन्धन समिति	आर०टी०ई० के प्राविधान के अनुसार निर्वाचित अभिभावक	प्रधानाध्यापक/ वरिष्ठतम शिक्षक (पदेन)	मासिक	

४— बैठक में निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दुओं को चर्चा के लिए सम्मिलित कर नियमित अनुश्रवण किया जा सकता है यथा—

- ❖ विद्यालय तक गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न का नियमित ढुलान, एक माह का अग्रिम रट्टॉक (बफर स्टॉक) का रखरखाव आदि।
- ❖ एफ०सी०आई० के गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान्न का नि.शुल्क ढुलान।
- ❖ विद्यालय तक कुकिंग कास्ट, मानदेय, आकस्मिक व्यय की अग्रिम धनराशि का प्रेषण।

- ❖ विद्यालय में भौतिक संसाधन यथा किचन कम स्टोर, खाना बनाने व परोसने वाले बर्टन, किचन उपकरण, अनाज तौलने की मशीन, साबुन, तौलिया, नेल कटर, फिनाइल, कंधी-सीसा आदि की उपलब्धता।
- ❖ स्वास्थ्य कार्यक्रम "चिरायु" की प्रगति, विटामिन-ए, आयरन फॉलिक एसिड, कमिनाशक दवाओं, चश्मों तथा कान की मशीन का नियमित वितरण।
- ❖ विभिन्न विभागों यथा स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग आदि से नियमित समन्वयन।
- ❖ एम0आई0एस0 के अन्तर्गत मासिक/वार्षिक डाटा एन्ट्री कार्य की प्रगति।
- ❖ भोजनमाता को मानदेय का नियमित भुगतान, आदि।

5— बैठक का नियमित आयोजन कर स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्थानीय आधार पर किये जाने का प्रयास किया जाए। यदि समस्या का निदान स्थानीय आधार पर न हो सके तो उसे उच्च स्तर पर अग्रेसित किया जाए। बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण नियमित रूप से मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ, सर्व शिक्षा अभियान को प्रेषित किया जाए।

6— इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशिका 2006 के अनुच्छेद-6.2 के आधार पर प्रत्येक त्रैमास में कम से कम 25 प्रतिशत विद्यालयों के अनुश्रवण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है अर्थात् वर्ष में प्रत्येक विद्यालय का कम से कम एक बार अवश्य अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। विद्यालयों के शत-प्रतिशत अनुश्रवण के लिए विभागीय अधिकारियों के लिए निम्नवत मासिक/वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है—

पदनाम	मासिक लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य
सचिव, विद्यालयी शिक्षा	1	5
अपर सचिव, बेसिक शिक्षा	1	5
अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा	1	5
महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा	1	5
राज्य परियोजना निदेशक	1	5
निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	1	10
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	1	10
निदेशक, शोध मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	1	10
प्राचार्य डायट	2	12
मुख्य शिक्षा अधिकारी	2	16
जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)	2	16
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	2	16
खण्ड शिक्षा अधिकारी	3	24
उप शिक्षा अधिकारी	3	24
समन्वयक, बी0आर0सी0	4	30
सह समन्वयक, बी0आर0सी0	4	30
समन्वयक, सी0आर0सी0	5	40

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के जनपद स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के सचिव तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के सचिव हैं।

7— अतएव अनुश्रवण समिति के सचिव जनपद व विकासखण्ड पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सहयोग से वर्षभर का अनुश्रवण कैलेण्डर इस प्रकार तैयार करेंगे की प्रत्येक त्रैमास में 25 प्रतिशत विद्यालयों तथा वर्ष भर में कम से कम प्रत्येक विद्यालय का एक बार अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा सके।

विद्यालयों में अनुश्रवण के दौरान निम्नलिखित हस्तक्षेपों तथा विषयों पर आधारित अनुश्रवण प्रपत्र को विकसित किया जाए तथा तदनुसार अनुश्रवण कर उसका विश्लेषण सुनिश्चित कर स्थानीय आधार पर समस्याओं का निदान करने का प्रयत्न किया जाए।

- ❖ विद्यालय, छात्र, अध्यापक व भोजनमाता विवरण।
- ❖ बच्चों का नामांकन, उपस्थिति तथा लाभान्वित बच्चों का विवरण
- ❖ मानवीय व भौतिक संसाधनों की उपलब्धता
- ❖ सामाजिक समानता व सामुदायिक सहभागिता की स्थिति
- ❖ भोजन मीनू खाना पकाने की विधि, भोजन का स्वाद व गुणवत्ता
- ❖ स्वास्थ्य कार्ड का रखरखाव, परीक्षण व दवाओं/उपकरणों के वितरण की स्थिति
- ❖ बच्चों व भोजनमाताओं की व्यक्तिगत स्वच्छता, वर्तनों व पेयजल की स्वच्छता
- ❖ किचन कम रसोर निर्माण, कुकिंग कॉर्स, मानदेय व खाद्यान्न की उपलब्धता
- ❖ अभिलेखों व पत्रावलियों का रखरखाव

8— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये मध्याह्न भोजन योजना के बेहतर क्रियान्वयन तथा समस्याओं के निदान हेतु नियमित बैठकों का आयोजन तथा विद्यालयों का अनुश्रवण सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या— (i) / XXIV(i) / 2013-25 / 2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायू, उत्तराखण्ड।
- 2— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
- 4— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 5— निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 6— समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (रायपत्नी निदेशक के माध्यम से)।
- 7— निजी सचिव, अपर सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 8— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव